

**कार्यालय कार्यपालन यंत्री**  
**जल संसाधन संभाग मण्डला (म.प्र.)**

Email. eewrdmandla@gmail.com Fax No. 07642-252220 Ph. No. 07642- 252220

पत्र क्रमांक / 815 / कार्य / वन भूमि / 2022-23 मण्डला, दिनांक 18/04/ 2022  
प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,  
पूर्व (सा.) वन मण्डल  
मण्डला (म.प्र.)

विषय :- जिला मण्डला के अंतर्गत गौर जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 20.22 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।  
संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रं. एफ. नं. 6-एमपीसी 013 / 2019-बीएचओ / दिनांक 30.08.2021

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में गौर जलाशय परियोजना में प्रभावित वन क्षेत्रों में कार्य करने की औपचारिक एवं अंतिम स्वीकृति अधिरोपित शर्तों के तहत प्रदान की गई थी। अधिरोपित शर्तों का वांछित पालन प्रतिवेदन निर्धारित बिन्दुओं के अनुरूप तैयार किया जाकर वचन पत्र, पंचनामा एवं खसरा भू अभिलेख की प्रति सहित, प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सहपत्र- (1) पालन प्रतिवेदन (22 बिन्दु)  
(2) वचन पत्र  
(3) पंचनामा की प्रति (हस्तांतरण)  
(4) खसरा भू अभिलेख की प्रति

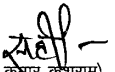
  
(धनंजय कुमार कुशराम)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)

पृष्ठां.क्रमांक / ..... / कार्य / वन भूमि / 2022-23 मण्डला, दिनांक / / 2022  
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) सतपुडा भवन मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर ।
3. कलेक्टर, जिला मण्डला ।

की ओर उक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र-शून्य

  
(धनंजय कुमार कुशराम)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)



मध्यप्रदेश सम्पत्तीगत भू-अभिलेख

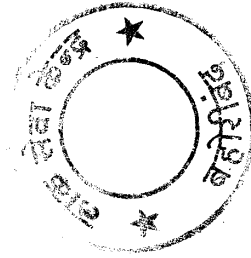
खुसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11014942802

| ग्राम: सरैया कला                                          |                                                      | पटवारी हलका: पट्टी कला           |                                 | तहसील: बहरीबन्द                                       |                | जिला: कटनी                  |                                                                     | वर्ष: 2021-2022                                                          |                         |               |                  |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| भूमि के भाग की प्रतिक्रिया (सर्वेक्षण संख्या/खण्ड संख्या) | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/खण्ड संख्या) | भू-खण्ड संख्या (खण्ड की दशा में) | 1. बेकार (हैट/एर/वर्ग मीटर में) | 2. भूमि उपयोग (हैट/एर/वर्ग मीटर में)                  | 3. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी भूखण्ड का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | नौखी रुक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विद्यमान प्रभार | भूमि के विवरण | फारम के बारे में | फारम के अधीन | फारम के अधीन | 1. फारम के अधीन | 2. फारम के अधीन | 3. फारम के अधीन | 4. फारम के अधीन | 5. फारम के अधीन | 6. फारम के अधीन | 7. फारम के अधीन | 8. फारम के अधीन | 9. फारम के अधीन | 10. फारम के अधीन | 11. फारम के अधीन | 12. फारम के अधीन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                           |                                                      |                                  |                                 |                                                       |                |                             |                                                                     |                                                                          |                         |               |                  |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                         | 2                                                    | 3                                | 4                               | 5                                                     | 6              | 7                           | 8                                                                   | 9                                                                        | 10                      | 11            | 12               |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100717<br>2595                                            | 5 (S)                                                |                                  | 19,0000<br>हेक्टेयर             | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1              |                             |                                                                     |                                                                          |                         |               |                  |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





मध्यप्रदेश सम्पत्तीकृत भू-अभिलेख

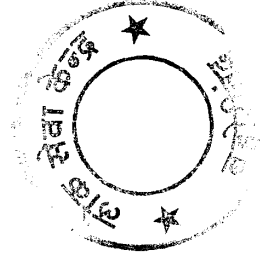
खुसरा

प्रमाण (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11014941882

| भूमि के भाग की सूचिकाई | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/खंड/खंडांक संख्याक) | भू-खण्ड संख्याक (खंडांक/खंडांक दशांश) | पटवारी हलका: पट्टी-कला                                           |                                                       | तस्वीर: बहोरीकट             |                                                                       | भूमि पर विद्यमान तथा प्रमाण |                          | जिला: कटनी    |                     | वर्ष: 2021-2022                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                              |                                       | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | 2. शासकीय भूमि                                        | प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता | 2. पट्टे की अवधि            | 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | फसल के ब्योरे | फसल के अधीन क्षेत्र |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                      | 2                                                            | 3                                     | 4                                                                | 5                                                     | 6                           | 7                                                                     | 8                           | 9                        | 10            | 11                  | 12                                                                                                                                                                                                                    |
| 152651<br>0057         | 20/1/2<br>(S)                                                |                                       | 21.4400<br>हेक्टेयर<br>रु. 0.00                                  | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1                           |                                                                       |                             |                          |               |                     | बटवारा प्रकरण क्रमांक 15/A-19/2019-2020 आ.दि. 04/09/2019 के अनुसार कलेक्टर कटनी द्वारा स्वीकार किया गया है।<br>न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0047/अ-19(1)/2017-18, आदेश दि. 12/04/2018 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। |



गौर जलाशय योजना के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. 6-एमपीबीओ 013/2019-बीएचओ/ दिनांक 30. 08.2021

**अध्यारोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन**

| स.क्र.    | अध्यारोपित शर्तों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आवेदक संस्थान का पालन प्रतिवेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | <b>Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | The cost of Compensatory afforestation on the CA land (40.44 ha Revenue Forest land) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. | आवेदक संस्थान को मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | Revenue forest(Chhote Jhand ka Jungle) land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आवेदक संस्थान द्वारा खसरा क्र. 5 एवं 20 कुल रकबा 40.44 हे. नामांतरित।                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3         | The State Government shall charge the Net Present Value (NVP) for the 20.22 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India 30/10/2002. 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18/09/2003, as well letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.                            | आवेदक संस्थान द्वारा मांग किये गये नेट प्रोजेक्ट वैल की राशि 12657720/- एवं दाण्डिक एन.पी.व्ही. की राशि 625626/- एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण वनीकरण की राशि 14166227/- तथा कुल राशि 27449573/- एडवार्डज नं 230516485/29.11.2021 द्वारा यूनियन बैंक लोधी काम्पलेक्स नई दिल्ली 110003 में लेफ्ट/आरटीजी एस द्वारा राशि जमा करा दी गई है। प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 4         | The State Forest Department shall comply with the penal provision listed at Para 1.21 (ii) b, c and d and report to the IRO Bhopal for issue of Stage-II approval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https:// parivesh.nic.in/</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | उत्तर 03 लागू है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6         | The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by of prescribed certificate from the concerned District Collector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आवेदक संस्थान द्वारा अभिलेख प्रस्तुत कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7         | The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal withall requisite details prior to Stage-II approval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आवेदक संस्थान द्वारा अभिलेख अपलोड कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019                                                                                                                                                                                                                                     | आवेदक संस्थान द्वारा दाण्डिक राशि जमा करा दी गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9         | The compliance report report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https:// parivesh.nic.in/">https:// parivesh.nic.in/</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आवेदक संस्थान द्वारा किया जा चुका है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>B.</b> | <b>Conditions which need to be strcitly complied on field after handing over of forest land by the User Agency by the State tate Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | Legal status of the forest land shall remain unchanged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | व्यपवर्तित वन भूमि का वैधानिक स्थल परिवर्तित नहीं किया जावेगा वचन पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                        |



बिन्दु क्रं.-B-1

व्यपवर्तित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप संबंधी

वचन — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र की व्यपवर्तित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जावेगा।



(धनेजय कुमार कुशराव)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

मण्डला (म.प्र.)

भविष्य में मांग की गई देय राशि

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के निर्माण के लिए डूब क्षेत्र हेतु की वन विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त देय राशि की मांग की जाती है तो उसे जल संसाधन विभाग मानने को वचनबद्ध है।



(मनोज कुमार कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

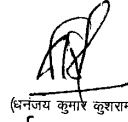
जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)

बिन्दु क्रं.-६-६

परियोजना का ले-आउट प्लान में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना  
बदलाव न करने संबंधी

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के डूब क्षेत्र में परियोजना के ले-आउट प्लान में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बदलाव नहीं किया जावेगा।



(विनय कुमार कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)

बिन्दु क्रं.-B-7

व्यपवर्तित वन क्षेत्र में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने बाबत

वचन — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के निर्माण हेतु व्यपवर्तित वन क्षेत्र में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जावेगा।



(धनजय कुमार कुशराव)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

मण्डला (म.प्र.)

संस्थान के द्वारा परियोजना स्थल पर कार्यरत श्रमिकों की वैकल्पिक ईंधन  
(रसोइ गैस) के भुगतान संबंधी

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के निर्माण कार्य में आवेदक संस्थान के द्वारा परियोजना स्थल पर कार्यरत श्रमिकों की वैकल्पिक ईंधन (रसोइ गैस) का भुगतान किया जाता है।



(धर्मजय कुमार कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)

योजना में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु वन  
भूमि का उपयोग नहीं करने संबंधी

वचन — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा  
गौर जलाशय में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी  
वन भूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा।



(धर्मराज कुमार कुशराम)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)

बिन्दु क्रं. B-11

शर्तों का वास्तविक पालन प्रतिवेदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार को  
नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत करने संबंधी

वचन — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के डूब क्षेत्र में शर्तों का वास्तविक पालन प्रतिवेदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार को (प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर) नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत किया जावेगा।



(धनंजय कुमार कुशवाह)

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)

व्यपवर्तित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था/विभाग या व्यक्ति को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं करने संबंधी

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा गौर जलाशय के डूब क्षेत्र में व्यपवर्तित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था/विभाग या व्यक्ति को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं की जावेगी।

(धनंजय कुमार कुशराम)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)

परियोजना मे कोई अन्य शर्तों जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित  
किये जाने के संबंध में

वचन - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित गौर जलाशय के वन भूमि प्रकरण में परियोजना मे अन्य शर्तों जो केन्द्र सरकार /राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण एवं विकास हेतु समय-समय पर अधिरोपित की जाती है तो उसका पालन किया जावेगा।

  
(धनंजय कुमार कुशराम)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग  
मण्डला (म.प्र.)

Annexure-II

FORM-II  
(For Project other than linear projects)  
Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector  
Mandla (M.P.)

No. 5211

Mandla, Dated: 16/07/2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes.

It is certified that **20.22 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Water Resources Division, Mandla (M.P.) for construction of **GOUR MINOR IRRIGATION TANK FOR IRRIGATION IN MANDLA DISTRICT** falls within jurisdiction of **KARONDI VILLAGE** in **NIWAS TEHSIL**.

It is further certified that:-

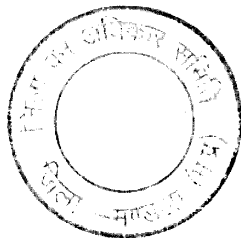
- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 20.22 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) are enclosed as **Annexure 1 to 3.**
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under FRA.

contd.....2

// 2 //

- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all information/process under the FRA have been carried out, and that have given their consent to the proposal diversion and the compensation ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Nagar Parishad Niwas of Karondi Village, Gram Sabha of Pipariya and Gram Sabha of Mohpani, Luhari Village is enclosed as **Annexure 1 to 3**.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken placed only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (f) The rights of primitive Tribal Groups and pre Agricultures, where applicable have been specifically safeguarded as per Section 3(1) of the FRA.

Encl : As above



16/07/18  
(Sufiyah Faruqui Wali)  
(सुफिया फारुकी वली)  
Collector  
आई. ए. एस.  
Distt. Mandla, (M.P.)

Signature (Full name and Official seal of the District Collector)

भोज दिनांक 08/04/2022 को सलैया से भूमि हस्तांतरित  
 विषयक एवं कब्जा दिलवाने हेतु मौके पर सम्मिलित रूप से  
 जल संसाधन विभाग के कर्मचारी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी  
 एवं वन विभाग के कर्मचारी द्वारा गौर वनभूमि ग्राम सलैया कला  
 प. ए. नं. 12 खसरा नं. 5 रकबा 19.00 हेक्टेयर मय छोटे साइ जंगल  
 मय शामकीय एवं ख. नं. 20 रकबा 21.44 हेक्टेयर मय छोटे साइ का  
 जंगल मय शामकीय का निरीक्षण कर गौर जलाशय योजना में  
 प्रभावित भूमि के बदले में वन विभाग की कलक्टर मदीय से आवेदनानुसार  
 दिनांक 12.04.2018 के अनुसार भूमि वालिकी हेतु हस्तांतरित किया  
 गया है। जिसका नामांतरण भी वन विभाग को हो चुका है। उक्त भूमि  
 में किसी का कोई अधिकार नहीं है। अतः पूर्ण निर्विवाद है। आज  
 दिनांक 08/04/2022 को उक्त भूमि राजस्व विभाग से वन विभाग को  
 सौंपी जाती है। उक्त भूमि का जी. पी. एस. रीडिंग निम्नानुसार है।

| No. | Block Name | KH. NO. | Latitude         | Longitude        |
|-----|------------|---------|------------------|------------------|
| 1   | SALAIYA    | 20      | 23°48' 43.254" N | 79°55' 10.650" E |
| 2   | SALAIYA    | 20      | 23°48' 43.500" N | 79°55' 25.830" E |
| 3   | SALAIYA    | 20      | 23°48' 38.769" N | 79°55' 25.906" E |
| 4   | SALAIYA    | 20      | 23°48' 36.228" N | 79°55' 28.488" E |
| 5   | SALAIYA    | 20      | 23°48' 32.879" N | 79°55' 30.942" E |
| 6   | SALAIYA    | 5       | 23°48' 29.923" N | 79°55' 31.429" E |
| 7   | SALAIYA    | 5       | 23°48' 27.126" N | 79°55' 31.470" E |
| 8   | SALAIYA    | 5       | 23°48' 26.199" N | 79°55' 31.717" E |
| 9   | SALAIYA    | 5       | 23°48' 25.110" N | 79°55' 32.847" E |
| 10  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 23.939" N | 79°55' 34.772" E |
| 11  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 22.866" N | 79°55' 36.132" E |
| 12  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 19.728" N | 79°55' 37.580" E |
| 13  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 18.071" N | 79°55' 38.143" E |
| 14  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 16.912" N | 79°55' 38.983" E |
| 15  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 14.869" N | 79°55' 30.656" E |
| 16  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 14.915" N | 79°55' 29.441" E |
| 17  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 16.175" N | 79°55' 28.617" E |
| 18  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 17.449" N | 79°55' 27.848" E |
| 19  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 19.739" N | 79°55' 25.290" E |
| 20  | SALAIYA    | 5       | 23°48' 20.741" N | 79°55' 24.223" E |

|    |         |    |                 |                 |
|----|---------|----|-----------------|-----------------|
| 21 | SALAIYA | 5  | 23°48' 21.218"N | 79°55' 22.891"E |
| 22 | SALAIYA | 5  | 23°48' 20.961"N | 79°55' 21.493"E |
| 23 | SALAIYA | 5  | 23°48' 19.771"N | 79°55' 19.006"E |
| 24 | SALAIYA | 5  | 23°48' 21.499"N | 79°55' 16.214"E |
| 25 | SALAIYA | 5  | 23°48' 22.103"N | 79°55' 15.942"E |
| 26 | SALAIYA | 5  | 23°48' 23.374"N | 79°55' 15.606"E |
| 27 | SALAIYA | 5  | 23°48' 24.125"N | 79°55' 14.539"E |
| 28 | SALAIYA | 20 | 23°48' 25.000"N | 79°55' 13.002"E |
| 29 | SALAIYA | 20 | 23°48' 26.236"N | 79°55' 12.211"E |
| 30 | SALAIYA | 20 | 23°48' 27.718"N | 79°55' 12.101"E |
| 31 | SALAIYA | 20 | 23°48' 28.865"N | 79°55' 12.411"E |
| 32 | SALAIYA | 20 | 23°48' 29.679"N | 79°55' 12.886"E |
| 33 | SALAIYA | 20 | 23°48' 31.020"N | 79°55' 12.533"E |
| 34 | SALAIYA | 20 | 23°48' 32.798"N | 79°55' 12.816"E |
| 35 | SALAIYA | 20 | 23°48' 33.403"N | 79°55' 12.717"E |
| 36 | SALAIYA | 20 | 23°48' 33.910"N | 79°55' 10.689"E |
| 37 | SALAIYA | 20 | 23°48' 36.387"N | 79°55' 10.455"E |
| 38 | SALAIYA | 20 | 23°48' 37.090"N | 79°55' 10.726"E |
| 39 | SALAIYA | 20 | 23°48' 38.044"N | 79°55' 11.863"E |
| 40 | SALAIYA | 20 | 23°48' 39.629"N | 79°55' 11.754"E |

N Singh  
S.D.O  
WRD  
mandla

Panchayat 2016.

08/04/22 आ.क.म.

(राउल कोट)

08/04/22

प.क.म.

(राउल कोट कोट)

Uttam

08/04/22

उत्तम मिश्रा (प्रशिक्षण वनसंरक्षण)

इ.प.स. इमली

विमल कुमार

क.स.स.

दरवी कोट